राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ4(ई)के–590 / 2013 / अलेसे–III / 359 दिनांक :– 23/03/2021

कार्यालय आदेश

श्री किशोर सिंह, क0 लेखाकार (लिंक नं. 10542) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर (द्वितीय), जयपुर को उनके आवेदन के आधार पर स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में सत्र 2020–21 हेतु स्नातकोत्तर (कला) (प्रथम वर्ष) पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पूर्ण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)के–590 / 2013 / अलेसे–III / 359 दिनांक :– 23/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संबंधित विभाग / कार्यालय .... ।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री किशोर सिंह, क0 लेखाकार (लिंक नं. 10542) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर (द्वितीय), जयपुर ।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)